न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 06/2016

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2016/00076

प्रार्थी पाताराम वल्द मेगाराम जाति–राजपुत, निवासी–डसडुण तहसील व जिला–सांचौर	बनाम	अप्रार्थीगण राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 02.08.2016

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 05.09.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा शिवनगर, पटवार हल्का–बावरला में प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 837 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 838 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 840/903 रकबा 0.05 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.46 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त आराजी के पुराना खसरा संख्या 388 का नक्शे की आकृति के अनुरूप द्वितीय सेटलमेंट द्वारा पुराना नक्शा अनुसार नवीन नक्शे की आकृति का रेकर्ड अपडेट करना था लेकिन द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने ऐसा नहीं कर लिपिकीय भूल से पुराने नक्शे से भिन्न नवीन नक्शे की आकृति का सर्जन कर दिया जो ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों का कानुनी अधिकार नहीं था। पुराने नक्शे में कोई रास्तानुमा लाईन के रूप में आकृति नहीं थी तथा न ही मौके पर ऐसी आकृति थी लेकिन उसके बावजूद सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा मौके से भिन्न जाकर रास्तानुमा माठ को अंकित करते हुए नवीन खसरे में गलत आकृति बनाई है जो ऐसी स्थिति मौके पर खेत है, रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त आराजी के पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें।

राज पैरोकार सांचौर द्वारा अपना जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का मौजा शिवनगर में पुश्तैनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 837, 838, 840/903 जुमले रकबा 4.46 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त [illegible] नंबरान गत खसरा संख्या 388 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा किस्म [illegible] हुआ है। खसरा संख्या 840/903 रकबा 0.10 हैक्टेयर (बंटवाड़ी बाद नवसृजित खसरा संख्या 840/903 रकबा [illegible] हैक्टेयर व खसरा संख्या 960/903 रकबा 0.05 हैक्टेयर) की किस्म राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता द्वितीय भू–प्रबंध के दौरान दर्ज हुई है परन्तु मौके पर उक्त वर्णित खसरा नंबरान की भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में नहीं हो रहा है यदि उक्त खसरा नंबरान की

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:20:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किस्म गैर मुमकिन रास्ता से बारानी प्रथम दर्ज की जाती है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि मौजा शिवनगर में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 837 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा संख्या 838 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा संख्या 840/903 रकबा 0.05 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.46 हैक्टेयर आये हुए है। उक्त आराजी के पुराना खसरा संख्या 388 का नक्शे की आकृति के अनुरूप द्वितीय सेटलमेंट द्वारा पुराना नक्शा अनुसार नवीन नक्शे की आकृति का रेकर्ड अपडेट करना था, लेकिन लिपिकीय भूल से पुराने नक्शे से भिन्न नवीन नक्शे की आकृति का सृजन कर दिया तथा पुराने नक्शे में रास्तानुमा लाईन के रूप में आकृति नहीं थी तथा न ही मौके पर ऐसी आकृति है एवं मौके पर रास्ता नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाकर रेकर्ड दुरूस्ती करने का आदेश फरमावे। राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो राज्य सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौजा शिवनगर के खेत खसरा संख्या 837, 838, 840/903 जुमले रकबा 4.46 हैक्टेयर भूमि की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 नक्शा पुराना व नक्शा नया, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी 01.09.1993 से 31.08.2013, नकल जमाबंदी संवत् 2038 से 2042 व नकल जमाबंदी 2033 2038 से 2043 पेश की जिनका भी अवलोकन किया अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का जवाब राज पैरोकार के आधार पर रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा शिवनगर पटवार हल्का–बावरला के प्रार्थी खातेदारी खेत खसरा संख्या 837 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 838 रकबा 4.40 हैक्टेयर व खसरा संख्या 840/903 रकबा 0.05 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.46 हैक्टेयर की आराजी के पुराने नक्शे के अनुसार नवीन नक्शे में रेकर्ड दुरूस्ती की जावे। उपरोक्त ... तहसीलदार सांचौर के नाम पृथक से तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.20 17:20:35 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner